बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-222690
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / स्वा. / 2022 / 1377 दिनांक 07/02/2022

निविदा संशोधित आदेश

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक, संचालन एवं रख-रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट-फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य की इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा निविदा क्रमांक / स्वा. / 2022 / 356-70 दिनांक 12.01.2022 (निविदा सूचना संख्या 06 / 2022-23) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	पूर्व में जारी निविदा	संशोधित शर्त एवं नई शर्त
01	**शर्त संख्या 02 : निविदा की सामान्य शर्तो के बिन्दु नम्बर 02** :- निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 1000 रूपये एवं बिड सिक्योरिटी राशि 9.60 लाख का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।	निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 1000 रूपये एवं बिड सिक्योरिटी राशि 9.61 लाख (960680/-) का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan .gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाता की बयाना/ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि सफल निविदादाता से अनुबंध करने के पश्चात् लौटा दी जावेगी एवं सफल निविदादाता की बयाना/ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि निविदादाता की स्वीकृति देने पर प्रतिभूति राशि में समायोजित भी की जा सकती है या निविदादाता द्वारा निवेदन करने पर निविदा राशि की 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि प्राप्त होने के पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी।
02	**शर्त संख्या 02 : निविदा की सामान्य शर्तो के बिन्दु नम्बर 12** :- नगर निगम के द्वारा दर स्वीकृति पत्र देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएं 15 दिवस मे पूर्ण करनी होगी :- 1. नियमानुसार अनुबंध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प (राशि नियमानुसार) पर प्रस्तुत करना होगा। जिसका वहन आवेदक को करना होगा। 2. निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेडयूल बैंक की बैक गारण्टी/शेडयूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Bikaner" के नाम बीकानेर में देय प्रस्तुत करनी होगी। 3. नगर निगम बैंक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है। 4. प्रतिभूति राशि जब्त करने कि स्थिति में एफ.डी. आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी। 5. प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 180 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।	नगर निगम के द्वारा दर स्वीकृति पत्र देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएं 15 दिवस मे पूर्ण करनी होगी :- 1. नियमानुसार अनुबंध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प (राशि नियमानुसार) पर प्रस्तुत करना होगा। जिसका वहन आवेदक को करना होगा। 2. निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत या ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन होने की स्थिति केवल निविदा राशि की 0.5 प्रतिशत राशि के बराबर राशि प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेडयूल बैंक की बैक गारण्टी/शेडयूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Bikaner" के नाम बीकानेर में देय प्रस्तुत करनी होगी। 3. नगर निगम बैंक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है। 4. कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने कि स्थिति में एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी। 5. प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 180 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
03	**शर्त संख्या 03 : वाहन व वाहन चालकों, हेल्पर के संबंध में निविदादाता को दिशा-निर्देश :- बिन्दु नम्बर 04** प्रत्येक ट्रेक्टर	कार्य की आवश्यकतानुसार प्रत्येक ट्रेक्टर ट्रॉली से 4 ट्रीप कार्य करना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक वार्ड में 2 ट्रीप करने होगें। लेकिन प्रति वार्ड में कार्य की आवश्यकतानुसार अलग से कार्यादेश जारी किये जाने पर

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

Scanned with CamScanner

	ट्रॉली से 4 ट्रीप कार्य करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वार्ड में 2 ट्रीप करने के लिये बाध्य होगा।	वार्ड मे 01 ट्रीप भी करवाई जा सकती है। अतः 01 ट्रैक्टर–टॉली से 01 वार्ड में 02 या 02 से अधिक ट्रीप एवं दूसरे वार्ड में 01 ट्रीप या 02 वार्डो में 01 ट्रैक्टर–टॉली से 01–01 ट्रीप भी करवाई जा सकती है।
04	**शर्त संख्या 09 : कार्यविधि,कार्य क्षेत्र की सीमा :– बिन्दु संख्या 02** कचरे का संग्रहण एवं परिवहन कर नगर निगम के निर्धारित डम्पिंग यार्ड पर डाला जायेगा। जिसकी दूरी बीकानेर शहर के केन्द्र बिन्दु से 06 से 07 किलो मीटर है।	कचरे का संग्रहण एवं परिवहन कर नगर निगम के निर्धारित वल्लभ गार्डन डम्पिंग यार्ड पर डाला जायेगा। जिसकी दूरी बीकानेर शहर के केन्द्र बिन्दु (कोटगेट, बीकानेर को मानते हुवे) 07 से 08 किलो मीटर है। नगर निगम द्वारा डम्पिंग यार्ड के अलावा अन्य स्थान/कचरा प्रबंधन प्लांट (जिनकी दूरी केन्द्र बिन्दु से 7 से 8 किलो मीटर) पर भी कचरा डालने के लिए निर्देश देने पर उक्त स्थान पर कचरा डाला जायेगा।
05	**शर्त संख्या 11 :शास्ति प्रावधान : बिन्दु संख्या 02** कार्यादेश अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली आपुर्ति नही करने पर 5000/– रू प्रतिदिन प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली	कार्यादेश में वर्णित समयावधि में ट्रैक्टर ट्रॉली की अनुमानित मात्रा में आपूर्ति नही करने एवं कार्य शुरू नही करने पर 5000/– रू प्रतिदिन प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली
06	**शर्त संख्या 11 :शास्ति प्रावधान : बिन्दु संख्या 04** :– ट्रैक्टर ट्रॉली खराब होने की स्थिति में किसी वार्डो में 24 घण्टे के बाद भी कचरा परिवहन नही करने पर 5000/– रू प्रतिदिन/प्रति वार्ड	ट्रैक्टर ट्रॉली खराब होने की स्थिति में किसी वार्डो में 24 घण्टे के बाद भी कचरा परिवहन नही करने पर उस दिन उस वार्ड मे प्रतिट्रीप प्रतिवार्ड की शास्ति नही लगाई जायेगी। लेकिन 24 घंटे के बाद भी कचरा परिवहन नही करने पर प्रतिट्रीप प्रतिवार्ड के अनुसार शास्ति लगाई जायेगी। इस प्रकार खराबी के कारण कार्य नही करने की घटना प्रतिमाह प्रतिवार्ड एक दिन ही स्वीकार होगी। एक दिन से अधिक बार घटना होने पर या 02 दिन तक कचरा परिवहन नही करने पर प्रतिट्रीप प्रतिवार्ड की शास्ति के साथ 3000/– रू प्रतिदिन/प्रति वार्ड के अनुसार शास्ति लगाई जायेगी।
07	**शर्त संख्या 11 :शास्ति प्रावधान : बिन्दु संख्या 05** :– सम्पूर्ण वार्ड में बिना किसी कारण 01 ट्रीप भी नहीं करने पर शास्ति राशि 5000/– रू प्रतिदिन प्रतिवार्ड	वार्ड में 02 ट्रीप या 02 ट्रीप से अधिक कार्य करने हेतु निर्देशित किये जाने के पश्चात् सम्पूर्ण वार्ड में बिना किसी कारण 01 ट्रीप भी नहीं करने पर शास्ति राशि 3000/– रू प्रतिदिन प्रतिवार्ड
08	**शर्त संख्या 11 : शास्ति प्रावधान : बिन्दु संख्या 09** :– प्रत्येक वार्ड में 02 ट्रीप से कम ट्रीप करने पर शास्ति राशि 1500/– रू प्रति ट्रीप	प्रत्येक वार्ड में 02 ट्रीप या 02 ट्रीप से अधिक ट्रीप के लिए आदेशित करने पर प्रत्येक वार्ड में 02 ट्रीप से कम ट्रीप करने पर शास्ति राशि 1000/– रू प्रति ट्रीप प्रतिवार्ड (इस शर्त में 02 ट्रीप से अधिक ट्रीप होने पर शास्ति अधिकतम 02 ट्रीप प्रतिवार्ड प्रतिदिन के लिए होगी) एवं किसी वार्ड में नगर निगम द्वारा 01 ट्रीप के लिए आदेशित करने पर वार्ड में 01 ट्रीप नही करने पर शास्ति सम्पूर्ण वार्ड में कार्य नही होने की राशि 3000 रूपयें प्रतिदिन प्रतिवार्ड होगी।
09	**शर्त संख्या 11 : शास्ति प्रावधान : बिन्दु संख्या 17** :– ड्राईवर एवं हैल्पर निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं होने पर शास्ति राशि 500/– रू प्रतिदिन प्रति डाईवर/हेल्पर	ड्राईवर एवं हैल्पर निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं होने पर शास्ति राशि 100/– रू प्रतिदिन प्रति डाईवर/हेल्पर
10	**निविदा की शर्तों में निम्न शर्त जोड़ी जाती है :–**	ट्रैक्टर–टॉली की पार्किंग नगर निगम के भण्डार ग्रह या नगर निगम की अन्य भूमि पर की जाती है तो 1000/– रू प्रतिमाह प्रति ट्रैक्टर–टॉली के अनुसार प्रत्येक माह के मासिक बिल में से कटौती की जावेगी। किसी कारणवश नगर निगम वाहनों की पार्किंग नही करवाना चाहता है तो फर्म को 15 दिवस पूर्व सूचना दी जायेगी। 15 दिवस बाद फर्म को अपने स्तर से ही पार्किंग स्थल की व्यवस्था करनी होगी। नगर निगम की भुमि या स्थान के अलावा अन्य स्वामित्व की जगह पर वाहनों की पार्किंग करने पर पार्किंग शुल्क नगर निगम द्वारा नही लिया जावेगा।

(हस्ताक्षर)
आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक/स्वा./2022/1377-82
दिनांक 07/02/2022

प्रतिलिपी :–

1. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
2. उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
4. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
5. प्रभारी अधिकारी, यंत्रालय, नगर निगम बीकानेर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

Scanned with CamScanner